UPKU010044782026

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–प्रथम, कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।

उपस्थित–परमेश्वर प्रसाद, एच०जे०एस०, U.P.06363

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1398/2026

1– नासरीन प्रवीण बउम्र 25 वर्ष पत्नी मो० नेहाल अली,

साकिन–अहिरौली दुबौली, थाना–गोपालगंज, जनपद–गोपालगंज (बिहार)।

.....आवेदिका/अभियुक्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....अभियोगी।**

मु०अ०सं०–271/2026,
धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986,
थाना–कसया, जिला–कुशीनगर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

1– यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदिका/अभियुक्ता नासरीन प्रवीण की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 13.05.2026 को समय 14.08 बजे प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह द्वारा थाना–कसया, जनपद–कुशीनगर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी मुकदमा मय हमराहियान देखभाल क्षेत्र में मामूर था कि जनता के लोगों से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सोनू एक मनबढ़ शातिर किस्म का अपराधी है, इसका जनता के लोगों में भय व्याप्त है। वह इस गैंग का लीडर है तथा सुनील शर्मा, नसरीन परवीन गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं, यह गैंग क्षेत्र में व गैर प्रान्तों में गोवंशीय पशुओं की तस्करी एवं परिवहन करके अपने तथा गिरोह के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु उक्त अपराध करते हैं। जो पूर्व में मु०अप०सं०–508/2025, धारा–3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा–11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना–कसया, जनपद–कुशीनगर का अपराध कारित कर चुके हैं तथा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अधिनियम, 2020 की धारा–3/5A/8 में वर्णित अपराधों को करने के अभ्यस्त अपराधी हैं, जो धारा–2(ख)(17) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 की परिधि में आता है तथा यह लोग समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं।

3– आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा इस मामले में अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही खण्डित हुयी है। जिसका कोई खण्डन अभियोजन की ओर से नहीं किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह एक प्रतिष्ठित पर्दानशीन महिला है। पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से फंसाया गया है। उनका ना तो संगठित गिरोह है और ना ही उस गिरोह का वह सदस्य है। ना ही गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप में वह संलिप्त रही है। उसके द्वारा किसी भी गैर कानूनी तरीके या अपराध से स्वयं को आर्थिक, भौतिक या दुनियावी लाभ पहुँचाने हेतु सम्पत्ति/धन अर्जित नहीं किया गया है। जिस मु०अप०सं०–508/2025, धारा–3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा–11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना–कसया, जनपद–कुशीनगर के आधार पर यह गैंगेस्टर का केस दर्ज किया गया है, उसमें उसकी जमानत हो चुकी है। मात्र वाहन स्वामिनी होने के कारण अभियुक्त बनाया गया था। वह बी०एन०एस०एस० की धारा–482 के अधीन सभी शर्तों का पालन करेगी। अतः आवेदिका/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत मुचलका पर रिहा किया जावे।

4– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कहा है कि आवेदिका/अभियुक्ता समाज विरोधी क्रिया कलाप में लिप्त रही है तथा गोवंशीय पशुओं की गोकशी/तस्करी के अपराध की अभ्यस्त अपराधी है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गई।

5– न्यायालय द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) को सुना एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

6– प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में दर्ज किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता पर यह आरोप है कि वह एक संगठित गिरोह की सदस्य है तथा अपने व अपने गैंग के लीडर व अन्य सदस्यों के साथ आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये उसके द्वारा गोकशी/गोवंशीय पशुओं की तस्करी जैसा गंभीर अपराध कारित किया गया है। गैंग चार्ट के अनुसार आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध मु०अप०सं०–508/2025, धारा–3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा–11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना–कसया, जनपद–कुशीनगर का मामला दर्ज है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि गैंग चार्ट में अंकित मुकदमें में अभियुक्ता की जमानत हो गयी है। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **अनिल कुमार दाऊ–बनाम–उ०प्र० राज्य 2008 (61) इलाहाबाद उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 19 (4) व (5)** के सन्दर्भ में यह अवधारित किया गया है कि **गैंग चार्ट में दर्शित मामलों में अभियुक्त का जमानत पर मुक्त होना मात्र यह विश्वास करने के लिये युक्ति संगत आधार नहीं है कि अभियुक्त निर्दोष है।** आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध मु०अप०सं०–508/2025 के अतिरिक्त इसी जनपद में गोकशी/गोवंशीय पशुओं की तस्करी के पाँच अन्य मुकदमें दर्ज हैं। गैंग चार्ट, केस डायरी एवं समस्त प्रपत्रों के परिशीलन से यह विश्वास नहीं होता है कि अभियुक्ता लगाये गये अपराध की दोषी नहीं है और न ही विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि उसे जमानत पर छोड़े जाने पर वह गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप में लिप्त नहीं रहेगी। अभियुक्ता

द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय अभियुक्ता को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं पाती है। अतएव आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता नासरीन प्रवीण की ओर से मु०अप०सं०–271/2026, अन्तर्गत धारा–3(1)उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना–कसया, जनपद–कुशीनगर के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1398/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांक/कुशीनगर।
जून 22, 2026

(परमेश्वर प्रसाद)
प्रभारी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी–।,
कुशीनगर, स्थान पडरौना।

Digitally signed by PARMESHWAR PRASAD
Date: 2026.06.22 17:19:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court